रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1435] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 2014/आषाढ़ 18, 1936
No. 1435] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 2014/ASHADHA 18, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.आ. 1709(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34 के 297.000 कि.मी. से 367.476 कि.मी. (फरक्का–रायगंज सेक्शन) तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), जिला मालदा, जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, जिला मालदा को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 297.000 कि.मी. से 367.476 कि.मी. (शेष प्लाट) (फरक्का–रायगंज सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1	मालदा	1. मालदा	(1) बैष्णवनगर (जे.एल. नं. 32)	आर.एस.	1308	निजी	कृषि	0.0700
				आर.एस.	1319	निजी	कृषि	0.0400
				आर.एस.	1609	निजी	कृषि	0.0500
				आर.एस.	1610	निजी	कृषि	0.0300
				आर.एस.	1823	निजी	गैर कृषि	0.0700
				आर.एस.	1824	निजी	गैर कृषि	0.0325
			(2) सुल्तानगंज (जे.एल. नं. 31)	आर.एस.	4061	निजी	कृषि	0.0150
				आर.एस.	4474	निजी	गैर कृषि	0.0400
				आर.एस.	5316	निजी	कृषि	0.9500
			(3) बड़ा सुजापुर (जे.एल. नं. 121)	आर.एस.	1048	निजी	कृषि	0.0200
			(4) साहापुर (जे.एल. नं. 110)	आर.एस.	1094	निजी	कृषि	0.1700
			(5) रशिलादाह (जे.एल.नं. 107)	आर.एस.	658	प.बं.स.	गैर कृषि	0.1000
			(6) धुमादिघी (जे.एल. नं. 30)	एल.आर.	301	निजी	कृषि	0.0400
		2. गाजोल	(1) आदिना (जे.एल. नं. 39)	आर.एस.	3599	निजी	गैर कृषि	0.0500
			(2) बारिजपुर (जे.एल. नं. 43)	आर.एस.	719	निजी	कृषि	0.0200
				आर.एस.	1800	निजी	कृषि	0.0025
				आर.एस.	2520	निजी	कृषि	0.0300
			(3) बागसराय (जे.एल. नं. 90)	आर.एस.	185	निजी	कृषि	0.1100
			(4) रंगभीटा (जे.एल. नं. 84)	एल.आर.	384	निजी	कृषि	0.0400
			(5) आकन्द (जे.एल. नं. 105)	एल.आर.	81	निजी	गैर कृषि	0.0250
				एल.आर.	188	निजी	गैर कृषि	0.1050
			(6) बड़े मयना (जे.एल. नं. 117)	आर.एस.	2819	निजी	कृषि	0.0100
				आर.एस.	694	निजी	कृषि	0.0200

[फा. सं. भाराराप्रा/तक./एलए/रा.रा–34/पीआईयू–मालदा/2008]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2014

S.O. 1709(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), including construction of Malda Bypass, maintenance, management and operation of National Highway No. 34, in the stretch of land from Km. 297.000 to Km. 367.476 [Farakka – Raiganj Section] in district of Malda in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Additional District Magistrate (Land Acquisition), Malda District, Office of the District Magistrate, Dist-Malda in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 297.000 to Km. 367.476 (Left out Plots) [Farakka - Raiganj section] of National Highway No. 34 in the State of West Bengal.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in acres)
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Malda	1. Malda	(1) Baisnabnagar (J.L. No. - 32)	RS	1308	Private	Agri	0.0700
				RS	1319	Private	Agri	0.0400
				RS	1609	Private	Agri	0.0500
				RS	1610	Private	Agri	0.0300
				RS	1823	Private	Non-Agri	0.0700
				RS	1824	Private	Non-Agri	0.0325

			(2) Sultanganj (J.L. No. - 31)	RS	4061	Private	Agri	0.0150
				RS	4474	Private	Non-Agri	0.0400
				RS	5316	Private	Agri	0.9500
			(3) Bara Suzapur (J.L. No. - 121)	RS	1048	Private	Agri	0.0200
			(4) Sahapur (J.L. No. - 110)	RS	1094	Private	Agri	0.1700
			(5) Rasiladaha (J.L. No. - 107)	RS	658	GoWB	Non-Agri	0.1000
			(6) Dhumadighi (J.L. No. - 30)	LR	301	Private	Agri	0.0400
		2. Gajol	(1) Adina (J.L. No. - 39)	RS	3599	Private	Non-Agri	0.0500
			(2) Barijpur (J.L. No. - 43)	RS	719	Private	Agri	0.0200
				RS	1800	Private	Agri	0.0025
				RS	2520	Private	Agri	0.0300
			(3) Bagsarai (J.L.No. - 90)	RS	185	Private	Agri	0.1100
			(4) Rangabhita (J.L.No. - 84)	LR	384	Private	Agri	0.0400
			(5) Akanda (J.L.No. - 105)	LR	81	Private	Non-Agri	0.0250
				LR	188	Private	Non-Agri	0.1050
			(6) Bade Mayna (J.L.No. - 117)	RS	2819	Private	Agri	0.0100
				RS	694	Private	Agri	0.0200

[F. No. NHAI/Tech./LA/NH-34/PIU-Malda/2008]

MAYA PRAKASH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.